International Research Journal of Human Resources and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor- 5.414, Volume 4, Issue 10, October 2017
Website- www.aarf.asia, **Email** : editor@aarf.asia , editoraarf@gmail.com

मुस्लिम महिला मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय : तीन तलाक

डॉ.साधना भण्डारी
व्याख्याता, लोक प्रशासन विभाग
राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर (राज.)

डॉ. ओमपाल कुमार कालावत
व्याख्याता, नवजीवन महाविद्यालय, कांवट (सीकर)

सारांश

भारतीय संविधान द्वारा महिला एवं पुरूष दोनों को समान मानवाधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी महिला को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। धर्म के ठेकेदारों ने अपने स्वार्थ के लिए उनको घर की चार दीवारी एवं बुर्के में कैद कर दिया। इसमें सबसे गम्भीर मुद्दा तीन तलाक है। जिसके तहत मुस्लिम समाज में कोई भी पुरूष तीन तलाक बोलकर या मोबाईल पर मैसेज भेजकर शादी के समझौते को तोड़ सकता है। मुस्लिम समाज में इस तरह के तीन तलाक को वैधानिकता प्राप्त है। उतराखण्ड की शायरा बानो की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त, 2017 में फैसला सुनाते हुऐ तीन तलाक को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन माना और इसे असंवैधानिक एवं गैर कानूनी करार दिया। तीन तलाक प्रथा महिला की सुरक्षा, गरिमा एवं मानवाधिकारों के विपरित है। इस पर कानून बनने से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में अवश्य सुधार होगा।

मुख्य शब्द : तलाक, इबादत, तहजीब, इल्म, परहेजगारी, तालीम, हराम, हिजाब, फतवा, मुस्लिम

© Associated Asia Research Foundation (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

पर्सनल लॉ, गुजारा भत्ता, तलाक–ए–अहसन, तलाक–ए–हसन, विवाह–विच्छेद, तलाक–ए–बिद्दत।

प्रस्तावना

आज मनुष्य अपनी ही प्रजाति के अन्य लोगों को प्राकृतिक अधिकारों से वंचित करता जा रहा है। महिला एवं पुरुष दोनो को समान मानवाधिकार प्राप्त है, लेकिन समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। इसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है। मुस्लिम धार्मिक ग्रन्थ 'कुरान' में महिला–पुरुष को समान माना गया है, लेकिन धर्म के कट्टरवादियों ने अपने स्वार्थ के लिए महिला पर अत्याचार, शोषण एवं उसके अधिकारों का हनन किया है। मुस्लिम महिलाओं को घर की चार दिवारी एवं बुर्के में कैद किया गया। इस्लाम के उदय से पहले अरब देशों में महिलाओं को पुरुष की चल संपति माना जाता था। विधवा स्त्री को पैतृक संपति की तरह बेटों में बांटा जाता था। नवजात बालिका शिशु को जिन्दा गाड़ दिया जाता था। स्त्रियों को पाप की ओर ले जाने वाली माना जाता था और उन्हें विश्वास के योग्य नहीं समझा जाता था।

हजरत मोहम्मद ने अरब कबीले को एकता के सूत्र में बांधते हुऐ एक आचार संहिता दी। उन्होंने स्त्री शिक्षा एवं उनको समान हक अदा करने पर जोर दिया। कुरान में कहा गया है कि कर्म या इबादत चाहे पुरुष करे या महिला दोनों को उनके कार्यों का समान फल दिया जायेगा। इस्लाम के अनुसार यदि किसी महिला में अकलमंद, तहजीब, इल्म, परहेजगारी जैसे गुण है तो वह पुरुष से ऊँचा स्थान रखती है, लेकिन शरियत का पालन करने वाले कुछ मौलवियों ने अपने स्वार्थ के लिए हर बार धर्म की आड में महिला को नीचा दिखाने का प्रयास किया है।

इस्लाम में महिला अधिकार

इस्लाम दुनिया का पहला मजहब है जिसने महिला को सर्वाधिक अधिकार दिये हैं। जन्म के आधार पर महिला–पुरुष में कोई भेद नहीं है और मानवीय आधार पर भी दोनों के अधिकार समान है। इस्लाम में बताया गया है कि महिला और पुरुष दोनों ही जीवन की एक सीढी पर खड़े है। अपने चरित्र और सद्गुणों से दोनों में से जो भी जितना ऊँचा जाना चाहे उतना जा सकता है। इसमें लिंग भेद के आधार पर कोई बाधा नहीं है। महिला मानवीय श्रेष्ठता और आत्मिक उन्नति में किसी से पीछे नहीं है

इस्लाम का यह स्पष्ट आदेश है कि महिला और पुरुष को तालीम के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। इस्लाम में लिंग के आधार पर महिला शिक्षा पर कोई पाबंदी नहीं है। इतिहास में ऐसी अनेक मुस्लिम महिलाऐं हुई है जिनके ज्ञान और अनुभव का दुनिया ने लाभ उठाया है। इस्लाम में आर्थिक और व्यापार के क्षेत्र में भी

महिला की स्थिति और अधिकार पुरुष के समान ही हैं। इस्लाम में महिला को आजीवन कानूनी तौर पर स्थाई हैसियत प्रदान की है। बचपन, युवावस्था, विवाह पूर्व, विवाह पश्चात्, पति से अलगाव के बाद या जहाँ कहीं भी हो महिला के अस्तित्व को विशेष मान्यता प्राप्त है। वह स्वयं अपनी संपति अर्जित कर सकती है और अकेली उसकी स्वामी होती है। विवाह के बाद भी पिता की संपति में उसका हिस्सा होता है। इस्लाम महिला को राजनीतिक गतिविधियों में भी पुरुष के समान अधिकार प्रदान करता है। हिजाब या पर्दा इस्लाम में महिलाओं पर बंदिश या पाबंदी के रुप में नहीं रखा गया है। पर्दा महिला का अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है। पर्दे में वे ना केवल मौसम के दुष्प्रभाव और प्रदूषण से स्वयं को बचा पाती हैं बल्कि यौन हिंसा और छेड़खानी से भी सुरक्षित रहती हैं।

मुस्लिम समाज में महिला की स्थिति

मुस्लिम समाज में महिला आज भी स्वतंत्र एवं समान नहीं है। उन पर धर्म, परिवार एवं समाज का दबाव है। जिसके कारण खामोश रहने के लिए विवश हैं। अनेक महिला आन्दोलनो एवं मुस्लिम लेखिकाओं के प्रयासों से अत्याचार, शोषण, घरेलू हिंसा एवं तीन तलाक को रोकने के लिए कानून तो बना दिया गया है लेकिन आज भी इनके अत्याचारों में कमी नहीं आयी है।

विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र भारत में मुस्लिम धर्मावलम्बियों की संख्या 16 करोड़ है, जो विश्व में इण्डोनेशिया एवं पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। इस समुदाय में आज भी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रुप से पिछड़ापन है। शिक्षा के अभाव के कारण आधी सदी बीत जाने के बाद भी इनका सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षिक, चिकित्सा, राजनीति आदि क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।

रंगनाथ मिश्र आयोग, सच्चर कमेटी की रिर्पोटों से साबित हो चुका है कि हर सेवा में मुस्लमानों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात में बहुत कम है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों में हिस्सेदारी 2.1 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों में 5 प्रतिशत से भी कम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में 2. 5 प्रतिशत है। सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औधोगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल में ऊँचे पदों पर 3.6 प्रतिशत तथा निचले पदों पर 4.6 प्रतिशत है। अखिल भारतीय सेवाओं में भी मुस्लमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। आई.ए.एस. में मात्र 3 प्रतिशत, आई. पी. एस. में 4 प्रतिशत, आई. एफ. एस. में 1.8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है। अन्य क्षेत्रों में भी दयनीय स्थिति है। रेलवे में 4.5 प्रतिशत, स्वास्थ्य में 4.4 प्रतिशत, पुलिस में 06 प्रतिशत, शिक्षा में 6.5 प्रतिशत एवं न्यायिक क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही है।

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक है, उनमें शिक्षा का अभाव है। वे स्कूल तो जाती है, लेकिन चौथी–पांचवी कक्षा के बाद पढाई छोड़ देती है। प्राथमिक शिक्षा में जहाँ ग्रामीण स्तर पर 13 प्रतिशत विद्यार्थी होते हैं

एवं शहरी स्तर पर 16.2 प्रतिशत लेकिन स्नातक स्तर पर मात्र 0.8 व 3.9 प्रतिशत ही रह जाते है। गाँवों में 60.2 प्रतिशत मुस्लमान भूमिहीन हैं और 3.2 प्रतिशत ही सरकारी लोन तक पहुच पाते है। मात्र 29 प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं की कामकाज में भागीदारी है। 14 वर्ष की उम्र के 25 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे स्कूलों से दूर हैं। उनके लिए बेहतर नौकरियां दूर का ख्वाब है। समय–समय पर मुस्लिम महिलाओं के लिए फतवे जारी होते है, जैसे महिला नौकरी ना करे उसकी कमाई हराम है। जिससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और बदतर हो गई है।

मुस्लिम समुदाय में महिला की व्यक्तिगत हैसियत को भी नकारा गया है। ये आज भी भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य के रुप में काफी चुनौतियों का सामना कर रही हैं और दयनीय परिस्थितियों में जीवन–यापन कर रही हैं। जिसे वे नियति मानकर स्वीकार करती रही है।

भारत के संविधान द्वारा प्रदत नागरिक समानता, स्वतंत्रता एवं पंथनिरपेक्षता के अधिकारों के बावजूद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' जिसमें काफी समय से कोई तब्दीली नहीं हुई है। बुर्का प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों ने उनकी प्रतिभा को बाहर नहीं आने दिया है। उन्हें बेपर्दा बाहर ना निकलने की ताकीद दी जाती है। इनके घर से बाहर निकलने पर धर्म के ठेकेदारों को इस्लाम खतरे में नजर आता है। जबकी मुस्लिम महिलाओं को लगभग 1400 वर्ष पूर्व ही विवाह का अधिकार, तलाक का अधिकार, गुजारे भत्ते का अधिकार, पैतृक संपति आदि अधिकार प्राप्त थे। एक गम्भीर मुद्दा ट्रिपल तलाक उनकी सामाजिक स्थिति को और अधिक प्रभावित करता है, इसकी शिकार अधिकांशतः गरीब मुस्लिम महिलाऐ होती हैं।

तीन तलाक

मुस्लिम समाज में कोई भी पुरुष अपनी बीवी को तीन बार तलाक बोल कर या मोबाईल पर मैसेज भेजकर अपनी शादी को तोड़ सकता है। इस तरह के तलाक को इस्लामिक कानून में वैधानिकता प्राप्त है। दुनिया भर के कई विद्वानों का मानना है कि तीन तलाक एक गैर इस्लिामिक प्रक्रिया है। कुरान में तीन तलाक की प्रक्रिया को बहुत ही कठिन बताया गया है। शरीयत में तलाक–ए–अहसन तथा तलाक–ए–हसन नाम से विवाह–विच्छेद के दो और प्रावधान है, जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद तलाक कहने का प्रावधान है और सुलह की भी गुंजाइश रखी गई है। तलाक–ए–बिद्दत की सबसे अमर्यादित व्यवस्था हलाला है, जिसमें तीन बार तलाक के बाद पति–पत्नी फिर से साथ रहना चाहे तो पुनर्विवाह से पहले महिला को कम से कम एक दिन के लिए दुसरे पुरुष की पत्नी बननी पड़ती है। हलाला

के दौरान मुस्लिम महिलाओं को गंभीर मानसिक वेदना से गुजरना पड़ता है।

कुरान में कहा गया है कि यदि कोई पति–पत्नी एक–दूसरे को तलाक देना चाहते हैं तो इससे पहले दोनो के परिवारों को आपस में बैठकर एक–दूसरे से बातचीत कर हर संभव प्रयास करके दोनों के वैचारिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए तथा तलाक से बचाना चाहिए। यदि तलाक देना बहुत ही आवश्यक हो तो एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही तलाक देनी चाहिए ताकि दोनो बिना हलाला की प्रक्रिया के भी एक हो सकते है।

भारत के अलावा विश्व में ऐसे 22 देश है, जहां तीन तलाक पूरी तरह से बैन है। सबसे पहले मिस्त्र में तीन तलाक को बैन किया गया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी तीन तलाक सन् 1956 से ही बैन है। सूडान, साइप्रस, जार्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनई, मोरक्को, कतर एवं यूएई में भी तीन तलाक बैन है। तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए जीवन भर सताने वाला डर है। यह काले कानून से कम नहीं है।

उद्देश्य

- मुस्लिम महिला मानवाधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण करना।
- मुस्लिम समाज में तलाक की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
- तीन तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं को उजागर करना।
- तीन तलाक बिल में किये गये प्रावधानों का अध्ययन करना।
- मुस्लिम महिला मानवाधिकारों की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करना और आवश्यक सुझाव देना।

अनुसंधान प्रविधि एवं तथ्य संकलन

प्रस्तुत शोध–पत्र में शोध की प्रकृति विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति को जानने के लिए शोध सरंचना के विवरणात्मक प्रकार को अपनाया गया है तथा तथ्यात्मक एवं वास्तविकता को समझने के लिए शोध प्रविधि को आधार बनाया गया है।

शोध–पत्र को वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक बनाने के लिए समंक संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों से सूचनाऐं एकत्रित की गई हैं। प्राथमिक स्त्रोतों में अवलोकन, चर्चायें, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली द्वारा आवश्यक सूचनाएं एकत्रित की

गई है। द्वितीयक स्त्रोतों में प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, विद्वानों के लेख, समाचार–पत्र, सरकारी प्रतिवेदन, अप्रकाशित सामग्री और विभिन्न इन्टरनेट वेबसाईट्स के माध्यम से समंक किये गये है।

तीन तलाक बिल

भारत सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी ने वर्ष 2015 में तीन तलाक पर अपनी रिपोर्ट में मुस्लिम महिलाओं की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की सिफारिश की। तीन तलाक पीड़ित पाँच महिलाओं ने 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। तीन तलाक की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय विशेष बेंच का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार ने लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तीन तलाक का विरोध किया। मुस्लिम महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय में तीन तलाक का केस लड़ने वाली अधिवक्ता फरहा फैज ने इसे गैर कानूनी एवं महिला हितों का विरोधी बताया है। मुस्लिम विमेंस लीग की महासचिव नाइसा हसन का मानना है कि कुरान में महिला के लिए खतना सहित मुताह, हलाला आदि नहीं है। महिला की स्वतंत्रता से डरा हुआ पितृसत्तात्मक समाज महिला पर अपना नियन्त्रण बनाये रखने के लिए धर्म का सहारा लेता है। संविधान के समानान्तर धर्म के कट्टरपंथियों के जो कानून चल रहे है, उन्हें निर्मूल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह ने तीन तलाक के मामले में कहा है कि जब समाज का साथ ना हो तो कानून का साथ आवश्यक हो जाता है, इसीलिए तीन तलाक पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। सेवानिवृत न्यायाधीश एस. आर. सिंह का मानना कै कि तीन तलाक पर कानून की आवश्यकता है तथा तलाक के आधार भी तय होने चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपनी पुस्तक 'स्ट्राइड टूवार्डस फ्रीडम' में लिखा है कि आधुनिक एवं प्रगतिशील समाज में यदि कोई सामाजिक कुरीति व्यक्ति को समानता एवं स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करती है तो उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

एक बार में तीन बार तलाक....तलाक....तलाक बोल कर संबंध विच्छेद कर देने वाली पुरानी प्रथा तलाक–ए–विद्दत को देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रिम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकारों के हनन करने के आरोप में शून्य, असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है। उतराखण्ड की शायरा बानो की याचीका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। यह प्रक्रिया मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र के भी विपरीत है। सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में फैसला सुनाते हुऐ तीन तलाक को असंवैधानिक और कुरान के मूल सिद्वांतो के खिलाफ बताया। सुप्रिम कोर्ट ने सरकार से छः महीने में तीन तलाक प्रथा के खिलाफ कानून बनाने को कहा था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुऐ ही केन्द्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, 2017 संसद में

पेश किया गया।

तीन तलाक बिल में प्रावधान

- तीन तलाक के मामले को सिविल मामलो की श्रेणी से निकाल कर अपराधिक श्रेणी में माना जायेगा।
- यदि कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से या अन्य किसी विधि से तीन तलाक देता है तो उसकी एसी कोई भी उदघोषणा शून्य या अवैध होगी।
- तीन तलाक से पीड़ित महिला अपने पति से स्वंय और अपने आश्रित संतान के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की हकदार होगी। निर्वाह भत्ते की रकम मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- तीन तलाक को संज्ञेय अपराध मानना।
- पुलिस बिना वारंट के तीन तलाक देने वाले को गिरफ्तार कर सकती है।
- तीन तलाक देने वाले के लिए तीन साल की सजा का प्रावधान है।
- दोनो पक्षों की दलील सुनकर मजिस्ट्रेट ही जमानत दे सकता है।
- मजिस्ट्रेट को सुलह करवाकर शादी बरकरार रखने का अधिकार।
- तीन तलाक देने वाला अगर समझौता करना चाहता है, तो पहले इसके लिए पीड़िता को रजामंद करना होगा यानी पीड़ित मुस्लिम महिला के अनुरोध पर ही मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति दे सकता है।
- पड़ोसी या कोई अनजान व्यक्ति इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकता।
- यह कानून तलाक–ए–बिद्दत यानी तीन बार तलाक बोलने पर लागू होगा।

ऑल इण्डिया मुस्लिम लॉ बोर्ड का तर्क

तीन तलाक की प्रथा को सही ठहराते हुऐ ऑल इण्डिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने माना कि मुस्लिम समुदाय में निकाह समझौते के आधार पर होता है और महिलाऐं अपने हितों एवं गरिमा की रक्षा के लिए निकाहनामा में तलाक से सम्बन्धित विशेष खण्ड जुड़वा सकती है। इसीलिए सरकार व न्यायालय को इस मामले में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड का यह भी मानना है कि तीन तलाक ऐसे विवाह सम्बन्ध खत्म कर देने का आसान रास्ता है जिसका चलना अब संभव नही है। इस प्रकार यह एक अच्छी व्यवस्था है। बोर्ड का

मानना है कि तीन तलाक एक निजी मामला है। तीन तलाक होने से महिलाओं की सार्वजनिक बदनामी नही होती है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि अगर तीन तलाक को अवैध करार दिया जाता है, तो इससे अल्लाह के आदेशों की अवमानना होगी और इसके चलते कुरान को बदलने की भी नौबत आ सकती है, इतना ही नहीं इससे मुस्लमान पाप के भागीदार होगें। उन्हांने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोविजन्स जैसे तीन तलाक को संविधान की धारा 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है। इस धारा के तहत नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने और प्रसारित करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है।

विपक्ष द्वारा विरोध के मुद्दे

- तलाक देने वाले पति को तील साल के लिए जेल भेज दिया जायेगा तो वह पत्नी तथा बच्चों का गुजारा भत्ता कैसे देगा।
- इस्लाम में शादी को एक दिवानी समझौता बताया गया है। तलाक का मतलब इस करार को समाप्त करना है। इस कानून के तहत तलाक का अपराधीकरण किया जा रहा है।
- विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाना चाहीए।
- जब उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में निर्णय दे दिया है तो वह अपने आप में एक कानून बन गया है। ऐसे में अलग कानून लाने का क्या औचित्य है?
- जब तीन तलाक को निरस्त मान लिया गया है तो फिर तीन साल की सजा का प्रावधान कैसे कर सकते है? इस सजा के प्रावधान से दोनो पक्षों में समझौते की संभावना समाप्त हो जाएगी।
- विपक्षी दलों ने इसका मकसद मुस्लिम परिवारों को तोड़ना बताया।
- यह संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का हनन है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो कानून संगत नहीं हैं।
- इस्लाम में शादी एक करार है और सरकार इसे सात जन्म का बंधन बनाना चाहती है।
- इसमें मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने की बात पेश की गई है लेकिन गुजारे भत्ते का तौर–तरिका नहीं बताया गया है।
- तीन तलाक व्यवस्था के प्रयोग को साबित करना एक कठिन कार्य है, ऐसे में इसका प्रयोग पुरुषों के उत्पीड़न के लिए भी किया जा सकता है।
- तीन तलाक की धारा 3 को अवैध किये जाने से इसका प्रभाव ही समाप्त को गया है। ऐसे में यह दण्ड एक ऐसे अपराध के लिए है जिसका होना ही संभव नहीं है। यह इस कानून की तार्किक असंगति

को दर्शाता है। हालाँकि इसे अपराध किये जाने का प्रयास माना जा सकता है।

- 1986 के मुस्लिम महिला संबंधी एक कानून के तहत तलाक पाने वाली महिलाओं को गुजारा भत्ता मिल रहा है। इस कानून के आ जाने से पुराने कानून के जरिए मिलने वाला भत्ता बन्द हो सकता है।

बिल के पक्ष में सरकार की दलील

- यह सियासत, धर्म एवं सम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है, बल्कि महिला के सम्मान और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत की बेटियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा संबंधी मामला है।
- तीन तलाक की व्यवस्था को समाप्त करना हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 के आदर्शों के अनुकूल है। साथ ही इससे इस संबंध में सुप्रिम कोर्ट द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन भी हो सकेगा।
- इससे मुस्लिम समाज में महिलाओं का उत्पीड़न घटेगा, जिससे समाज में लिंग आधारित विभेद की समस्या घटेगी।
- इसे दंडनीय तथा गैर जमानती अपराध बनाये जाने से पुरुषों में अनावश्यक रुप से तलाक दिये जाने की प्रवृति में कमी आयेगी।
- तलाक की स्थिति में अधिनियम की धारा 5 एवं 6 के तहत किये गए उचित मुआवजा के प्रावधान महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा भी उपलब्ध करवाते हैं।

निष्कर्ष

आज सम्पूर्ण विश्व में मानवाधिकारों की चर्चा है। भारत के संविधान में महिला–पुरुष को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों के लिए समान नागरिक संहिताऐं है, जबकी मुस्लिम समाज में तलाक की सुविधा केवल पुरुष को है, महिला तलाक नहीं ले सकती है। 'खुला' के तहत वह केवल तलाक मांग सकती है, तलाक देना ना देना पुरुष पर निर्भर करता है। मुस्लिम समाज में पति द्वारा तीन बार तलाक कहकर विवाह संबंध समाप्त कर देना और पुनः पत्नी को अपनाने के लिए हलाला की प्रक्रिया से गुजरना अमानवीय मूल्य है। तीन तलाक एक धार्मिक मामला ना होकर लैंगिक भेदभाव का मामला है जो सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकारों के खिलाफ है।

तीन तलाक प्रथा महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा का ख्याल नहीं रखती है। निश्चय ही तीन

तलाक को अवैध किया जाना महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। यह वर्तमान समय के महिला आन्दोलन के अनुकूल भी है। इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और निकाह, हलाला जैसी कुप्रथाओं पर भी नियंत्रण लगेगा। इसके लिए स्वयं महिलाओं में भी जागृति की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

- अंसारी, एम. ए. (2001) – महिला और मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन जयपुर
- कुमार, मनीष – महिला सशक्तिकरण दशा और दिशा
- कौशिक, सुरेन्द्र नाथ (2005) – भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम महिलाओं
- खातून, आरिफा (2010) – मुस्लिम महिलाओं की निर्णय स्वतंत्रता : प्रतिरोध का स्वरुप, स्त्रीकाल शोध पत्रिका
- जायपालन, एन. (2001) – वूमन एण्ड ह्यूमन राईट्स, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू देहली
- जोशी, नवीन – अब तीन तलाक की बाजी : प्रभात खबर
- ब्होरा, आशारानी (1994) – नारी शोषण : आईने और आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली
- बानू, जेनब (2005) – मुस्लिम समाज, महिलाएं एवं मानवाधिकारों का प्रश्न, पंचशील प्रकाशन, जयपुर
- युसुफ, तरन्नुम (2017) – भारतीय महिलाओं का सामाजिक अध्ययन
- वर्मा एस. के. (1997)– वायलेन्स अगेन्स वूमन : सब वर्जन ऑफ वूमनस ह्यूमन राईटस देहला, लॉ रिव्यू
- वासे, अख्तरुल (2009) – इस्लाम में महिला अधिकार, हम सबला
- शर्मा, क्षमा – महिला संगठनों का दोहरा रवैया, दैनिक जागरण
- शूक्ला, अन्जू (2017) – मुस्लिम समाज में महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति : एक समाजशास्त्रिय अध्ययन, रिसर्च मैग्मा
- सिन्हा, ध्रुवनारायण (2010) – सशक्तिकरण की राह पर मुस्लिम महिला, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
- सिंह, प्रभात कुमार, (2017) – तीन तलाक : मानवाधिकार का यक्ष प्रश्न
- हसन, नाइस – मजहबी तहखानों में बंद कुरीतियाँ, दैनिक जागरण